



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]
No. 338]नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2005/श्रावण 7, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2005/SRAVANA 7, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2005

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2005

सा.का.नि. 517(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्र सरकार, निदेशक (पत्तन-मानव-संसाधन-विकास) के स्थान पर, निदेशक (वित्त), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एतद्वारा 31-3-2006 तक कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के पहले के पोत परिवहन मंत्रालय, पत्तन पक्ष की दिनांक 14 मई, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 332(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 2 में उल्लिखित शब्दों "निदेशक (पत्तन-मानव-संसाधन-विकास), को "निदेशक (वित्त)" शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. पीटी-18011/13/2003-पी टी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

G. S. R. 517(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 and Sub-section (2) of Section 10 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Director (Finance), Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust *vice* Director (PHRD) as a Trustee upto 31-3-2006 and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G. S. R. 332(E) dated 14th May, 2004.

2. In the said Notification, against serial number 2 for the words "Director (PHRD)" the words "Director (Finance)" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/13/2003-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.